न्यायालय अपील अधिकरण (जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : गौरव अग्रवाल आई.ए.एस.
भरण पोषण अपील संख्याः (GCMS No. 2025/115)

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थीगण
1– श्रीमती लक्ष्मी पत्नी स्व. श्री प्रभुलाल जाति घांची, निवासी नृसिंहधडा, बाईजी का तालाब, जोधपुर।		1–रवि पुत्र अमृतलाल जाति घांची निवासी नृसिंहधडा, बाईजी का तालाब, जोधपुर।

अपील अंतर्गत धारा 16, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 11.12.2024 जो न्यायालय भरण पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 24/2024 अनवान श्रीमती लक्ष्मी बनाम रवि में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

दिनांकः 27.01.2026

1. अपीलार्थी – अनुपस्थित
2. प्रत्यर्थी – अनुपस्थित

आदेश

अपील प्रार्थी/अपीलार्थी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीनी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलार्थीनी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन अपनी स्वामित्वशुदा जायदाद में निवास करती आ रही है। अपीलार्थीनी के कुल 04 चार पुत्र हुए जिसमें से अमृतलाल व उसकी पत्नि का पूर्व में देहांत हो चुका है। अप्रार्थी अमृतलाल का पुत्र है वादग्रस्त जायदाद अपीलार्थीनी की एकल स्वामित्व की जायदाद है। जिस जायदाद में अप्रार्थी भी अपीलार्थीनी के अन्य पुत्रों के साथ निवास कर रहा है। अपीलार्थीनी का उसके पुत्रों द्वारा भरण पोषण नहीं किये जाने के कारण मकान के बाहर स्थित दूकान में चाय की होटल लगाकर अपीलार्थीनी अपना भरण पोषण करती थी एवं वादग्रस्त जायदाद का खर्चा भी निकालती थी। अप्रार्थी द्वारा चाय की होटल उसे दिये जाने हेतु दवाव बनाते हुए अपीलार्थीनी को यह आश्वासन दिया गया कि वह अपीलार्थीनी का भरण पोषण करेगा तथा अपीलार्थीनी की अनुमति से 06 कमरों में किरायेदार रखकर अपीलार्थीनी को किराया अदा करता रहेगा। चूंकि अप्रार्थी अपीलार्थीनी के पूर्व मृत पुत्र अमृतलाल का पुत्र है। जिस कारण अप्रार्थी पर विश्वास करते हुए अपीलार्थीनी द्वारा दुकान अप्रार्थी को चलाने हेतु दे दी। प्रारम्भिक स्तर पर अप्रार्थी द्वारा अपीलार्थीनी का भरण पोषण करते हुए दुकान की आय का विवरण भी अपीलार्थीनी को दिया गया किंतु विगत 06 माह से अपीलार्थीनी के भरण पोषण से भी इंकार कर दिया एवं प्रथम मंजिल पर स्थित दो कमरों में अपीलार्थीनी की अनुमति के बिना अन्य किरायेदार रख दिये एवं किराया भी प्राप्त किया जा रहा है। संपूर्ण जायदाद का पानी एवं बिजली का बिल भी अपीलार्थीनी द्वारा वहन किया

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

जा रहा है। अप्रार्थी द्वारा अपीलार्थीनी की स्वामित्वशुदा जायदाद से 30 से 35 हजार रूपये प्रतिमाह आय भी प्राप्त की जा रही है। अपीलार्थीनी द्वारा स्वयं के भरण पोषण हेतु 15,000/– रुपये मासिक की अप्रार्थी से मांग किये जाने पर उसके द्वारा इंकार कर दिया गया। किराया राशि भी अपीलार्थीनी को अदा नहीं की जा रही है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीनी के विधिवत भरण पोषण के आश्वासन पर उसके स्वामित्वशुदा जायदाद पर कब्जा प्राप्त करने के उपरांत अपीलार्थीनी का किसी प्रकार का कोई भरण पोषण नहीं किया जा रहा है एवं प्रथम मंजिल के बकाया कमरो पर ताला भी लगा दिया गया है। भरण पोषण की राशि की मांग करने पर अपीलार्थीनी को अप्रार्थी द्वारा झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी भी दी जा रही है। विगत 06 माह से अप्रार्थी एंव उसकी पत्नि द्वारा अपीलार्थीनी के साथ गंभीर रूप से लडाई झगडा व गाली गलौच कर जान से मारने की खुले आम धमकी दी जा रही है। अपीलार्थीनी द्वारा भरण पोषण की मांग करने पर अप्रार्थी एवं उसकी पत्नि द्वारा अपीलार्थीनी को आत्महत्या करने की धमकी भी देते हुए अपीलार्थीनी को आजीवन कारावास करवाने की धमकी भी दी जा रही है। अपीलार्थीनी स्वयं अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। अपीलार्थीनी के पुत्रियों के सामाजिक रिति रिवाज के अनुसार खर्चा भी अपीलार्थीनी द्वारा ही वहन करना पड रहा है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीनी को उसके स्वामित्वशुदा मकान से बेदखल करने की धमकी दी जा रही है। अपीलार्थीनी वृद्ध महिला है एवं अप्रार्थी के कृत्य के कारण अपीलार्थीनी अपना शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने में भी असमर्थ है। अधिनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित किये गये जिसकी पालना में अप्रार्थी द्वारा दिनांक 10–07–2024 को अधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर परिवाद का विधिवत रूप से कोई प्रत्युतर प्रस्तुत किये बिना ही दिनांक 07.08.2024 को तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब किये जाने का निवेदन किया गया जिसकी पालना में नायब तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की गयी एवं अप्रार्थी के जवाब प्रस्तुत करने के अधिकार को बंद किया गया। जिस पर अधीनस्थ अधिकरण द्वारा रिर्पोट तलब करते हुवे आलौच्य आदेश पारित किया गया जिसके विरुद्ध निम्नलिखित आधारों पर यह अपील प्रस्तुत है। अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने के संबंध में निम्नलिखित आधार प्रस्तुत किये। (1) यह है कि अधीनस्थ अधिकरण द्वारा आलौच्य आदेश पारित करने में गंभीर विधिक एव तथ्यात्मक त्रुटी कारित है जिस कारण आलौच्य आदेश निरस्त योग्य है। (2) यह है कि अपीलार्थीनी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सशपथ यह कथन किया गया था कि वादग्रस्त जायदाद अपीलार्थीनी की एकल स्वामित्व की जायदाद है जो उसे वसीयत के जरिये प्राप्त हुई थी। जिसका किसी प्रकार का कोई खंडन अप्रार्थी द्वारा नहीं किया गया किंतु उसके बावजूद भी अपीलार्थीनी के अखंडित कथनों को नहीं मानने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गंभीर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी कारित की है जिस कारण आलौच्य आदेश निरस्त योग्य है। (3) यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मौजूदा अधिनियम एवं उसकी मंशा को समझे बिना ही आलौच्य आदेश पारित किया गया है। परिवाद में वर्णित अनुसार अपीलार्थीनी द्वारा अपने एकल स्वामित्व की जायदाद के कब्जे का अंतरण अप्रार्थी को अपीलार्थीनी के विधिवत भरण पोषण तथा सुख सुविधाओं के आशय से उपलबध करवाया गया था। जो कब्जा अप्रार्थी द्वारा धोखे तथा अपने अनुचित प्रभाव के पर प्राप्त किया गया था। ऐसी स्थिति में धारा 23 अधिनियम के अनुसार अधिनस्थ अधिकरण का यह दायित्व था कि अप्रार्थी द्वारा उक्त आश्वासन के तहत प्राप्त किये गये

अपील अधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

कब्जे को अपीलार्थीनी को सुपुर्द करवाते किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों के विरूद्ध जाते हुए स्वयं के समक्ष न्यायालय नहीं मानने में गभीर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी कारित की है। (4) यह है कि अपीलार्थीनी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त जायदाद उसके एकल स्वामित्व की वसीयतशुदा जायदाद होने का सशपथ कथन किया गया है जिसका किसी प्रकार से कोई खंडन भी अप्रार्थी द्वारा नहीं किया गया है उसके बावजूद भी वादग्रस्त जायदाद को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान की संयुक्त अविभाजित पैतृक जायदाद माना गया है। (5) यह है कि जब पत्रावली पर अपीलार्थीनी द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका था कि वादग्रस्त जायदाद अपीलार्थीनी के एकल स्वामित्व की जायदाद है जिसमें अप्रार्थी का किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है। अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त जायदाद का कब्जा भी अपीलार्थीनी के विधिवत भरण पोषण करने के आधार पर प्राप्त करते हुए अन्य किरायेदारो को कब्जा सुपुर्द कर किराया राशि को हडप किया जा रहा है। जिसे दिलवाये जाने का अधीनस्थ अधिकरण को क्षेत्राधिकार प्राप्त था किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं को प्राप्त क्षेत्राधिकार का विधिवत रूप से प्रयोग नहीं गया। (6) यह है कि अप्रार्थी द्वारा अपीलार्थीनी की स्वामित्वशुदा दूकान एवं बकाया परिसर से 30 से 35 हजार रूपये आय प्राप्त की जा रही है। अपीलार्थीनी स्वयं वृद्ध महिला है जिसकी आय का कोई जरिये भी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र रूपये 3,000/– प्रतिमाह अपीलार्थीनी को भरण पोषण की राशि के रूप में अदा किये जाने का आदेश पारित किया गया है जो अपीलार्थीनी के सुविधा पूर्वक भरण पोषण हेतु कतई पर्याप्त नहीं है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपील अपीलार्थीनी स्वीकार फरमाई जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाते हुए अपीलार्थीनी को उसके स्वामित्वशुदा जायदाद का कब्जा भी अप्रार्थी से दिलवाया जाकर रूपये 15,000/– रुपये प्रतिमाह की दर से भरण पोषण भी अप्रार्थी से अपीलार्थीनी को दिलवाया जावें। अपीलार्थीनी वृद्ध महिला है तथा लीवर रोग से पीडित है। अपीलार्थीनी को न्यायालय हाजा के समक्ष मौजूद अपील समयावधि के भीतर प्रस्तुत करनी थी किंतु दिनांक 22.01.2025 को अपीलार्थीनी का स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया एवं अपीलार्थीनी दिनांक 22.01.2025 से निंस्तर रूप से अस्वस्थ्य है तथा जैर ईलाज है। अपीलार्थीनी के स्वास्थ्य में हल्का सुधार होने पर अविलम्ब यह अपील तैयार करवाकर प्रस्तुत की जा रही है। अपीलार्थीनी द्वारा जानबुझ कर किसी प्रकार का कोई विलम्ब कारित नहीं किया गया है किंतु अपरिहार्य कारणवश हस्तगत अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। जिस कारण अपीलार्थीनी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील अपीलार्थीनी अन्दर म्याद शुमार की जाना आवश्यक है।

अपील दर्ज (जीसीएमएस नं 2025/115) कर प्रत्यर्थी/अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये व अधीनस्थ अधिकरण का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण को नोटिस प्राप्त हुए तथा अधीनस्थ अधिकरण से मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है।

प्रत्यर्थी रवि पुत्र अमृतलाल की ओर से दिनांक 20.05.2025 को लिखित जवाब प्रस्तत किया गया। जो सामिल पत्रावली किया गया । उक्त जवाब में अप्रार्थी ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को गलत व बेबुनियाद बताया है। अप्रार्थी अपीलार्थी का पौत्र है तथा अपीलार्थी अपने छोटे लड़के यानि प्रत्यर्थी के चाचा के साथ रहती है तथा अपीलार्थी की जो सम्पति है

अपील अधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

वो सम्पति अपीलार्थी के अधिकार में है, जहाँ से अपीलार्थी को भाड़ा–किराया व अन्य राशि अर्जित होती है। प्रत्यर्थी के अलावा अपीलार्थी के और भी वारिसान है, जो सक्षम है तथा जिनके पास भी पुश्तैनी व पैतृक सम्पति है, जहाँ से उनको अच्छी आय होती है व अपीलार्थी स्वयं भी भाड़ा किराया की राशि अर्जित कर अपना भरण स्वयं कर सकती है। लेकिन अपीलार्थी ने केवल मात्र तंग परेशान करने की नियत से प्रत्यर्थी को उक्त प्रकार का नोटिस भिजवाया है। प्रत्यर्थी के घर का विद्युत संबंध अपीलार्थी के कहने पर विद्युत विच्छेद कर दिया गया तथा अपीलार्थी के पुत्र नारायण भाटी अपीलार्थी के पुत्रवधु आरती भाटी अपीलार्थी के पुत्र श्रीराम भाटी अपीलार्थी के पुत्रवधु अनु भाटी अपीलार्थी के पुत्री मंजू सोलंकी, अपीलार्थी की पुत्री संतोष बोराणा, अपीलार्थी की पौत्री पिनु बोराणा, अपीलार्थी के दामाद राजु बोराणा, अपीलार्थी का भाणजा रतन परिहार ये सब मिलकर प्रत्यर्थी व प्रत्यर्थी की पत्नी श्रीमती ज्योति को मानसिक रूप से तंग परेशान कर रहे है तथा प्रत्यर्थी की पत्नी को दहेज के लिए भी तंग परेशान करते है।

अपीलार्थिया द्वारा दिनांक 19.08.2025 को अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की गई। जो सामिल पत्रावली की गई है एवं अपीलार्थिया की बहस सुनी गई। वादग्रस्त जायदाद अपीलार्थीनी की एकल स्वामित्य की जायदाद है। जिस जायदाद में अप्रार्थी भी अपीलार्थीनी के अन्य पुत्रों के साथ निवास कर रहा है। अपीलार्थीनी का उसके पुत्रों द्वारा भरण पोषण नहीं किये जाने के कारण मकान के बाहर स्थित दूकान में चाय की होटल लगाकर अपीलार्थीनी अपना भरण पोषण करती थी एवं वादग्रस्त जायदाद का खर्चा भी निकालती थी। अप्रार्थी द्वारा चाय की होटल उसे दिये जाने हेतु दबाव बनाते हुए अपीलार्थीनी को यह आश्वासन दिया गया कि वह अपीलार्थीनी का भरण पोषण करेगा तथा अपीलार्थीनी की अनुमति से 06 कमरों में किरायेदार रखकर अपीलार्थीनी को किराया अदा करता रहेगा। चूंकि अप्रार्थी अपीलार्थीनी के पूर्व मृत पुत्र अमृतलाल का पुत्र है जिस कारण अप्रार्थी पर विश्वास करते हुए अपीलार्थीनी द्वारा दूकान अप्रार्थी को चलाने हेतु दे दी। प्रारम्भिक स्तर पर अप्रार्थी द्वारा अपीलार्थीनी का भरण पोषण करते हुए दूकान की आय का विवरण भी अपीलार्थीनी को दिया गया किंतु विगत 06 माह से अपीलार्थीनी के भरण पोषण से भी इंकार कर दिया एवं प्रथम मंजिल पर स्थित दो कमरों में अपीलार्थीनी की अनुमति के बिना अन्य किरायेदार रख दिये एवं किराया भी प्राप्त किया जा रहा है। संपूर्ण जायदाद का पानी एवं बिजली का बिल भी अपीलार्थीनी द्वारा वहन किया जा रहा है। अप्रार्थी द्वारा अपीलार्थीनी की स्वामित्वशुदा जायदाद से 30 से 35 हजार रूपये प्रतिमाह आय भी प्राप्त की जा रही है। अपीलार्थीनी द्वारा स्वयं के भरण पोषण हेतु 15,000/– रुपये मासिक की अप्रार्थी से मांग किये जाने पर उसके द्वारा इंकार कर दिया गया। किराया राशि भी अपीलार्थीनी को अदा नहीं की जा रही है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीनी के विधिवत भरण पोषण के आश्वासन पर उसके स्वामित्वसुदा जायदाद पर कब्जा प्राप्त करने के उपरांत अपीलार्थीनी का किसी प्रकार का कोई मरण पोषण नहीं किया जा रहा है एवं प्रथम मंजील के बकाया कमरों पर ताला भी लगा दिया गया है। भरण पोषण की राशि की मांग करने पर अपीलार्थीनी को अप्रार्थी द्वारा झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी भी दी जा रही है। विगत 06 माह से अप्रार्थी एवं उसकी पत्नि द्वारा अपीलार्थीनी के साथ गंभीर रूप से लडाई झगडा व गाली गलौच कर जान से मारने की खले आम धमकी दी जा रही है। अपीलार्थीनी द्वारा भरण पोषण की मांग करने पर अप्रार्थी एवं उसकी पत्नि

अपील अधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

द्वारा अपीलार्थीनी को आत्महत्या करने की धमकी भी देते हुए अपीलार्थीनी को आजीवन कारावास करवाने की धमकी भी दी जा रही है। अपीलार्थीनी स्वयं अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। अपीलार्थीनी के पुत्रियों के सामाजिक रिति रिवाज के अनुसार खर्चा भी अपीलार्थीनी द्वारा ही वहन करना पड़ रहा है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीनी को उसके स्वामित्वशुदा मकान से बेदखल करने की धमकी दी जा रही है। अपीलार्थीनी वृद्ध महिला है एवं अप्रार्थी के कृत्य के कारण अपीलार्थीनी अपना शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने में भी असमर्थ है। अंत में अपीलार्थीनी द्वारा अधीनस्थ अधिकरण से अप्रार्थी द्वारा अपीलार्थीनी के विधिवत भरण पोषण हेतु रूपये 15,000/–प्रतिमाह दिलवाये जाने एवं किरायेशुदा परिसर की किराया राशि अपीलार्थीनी को दिलवाये जाने तथा अप्रार्थी द्वारा अपीलार्थीनी का विधिवत भरण पोषण करने के आश्वासन के साथ अपीलार्थीनी के स्वामित्वशुदा जायदाद का कब्जा अप्रार्थी से पुनः लौटाये जाने का निवेदन किया गया। अधिनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित किये गये जिसकी पालना में अप्रार्थी द्वारा दिनांक 10–07–2024 को अधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर परिवाद का विधिवत रूप से कोई प्रत्युतर प्रस्तुत किये बिना ही दिनांक 07.08.2024 को तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब किये जाने का निवेदन किया गया जिसकी पालना में नायब तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की गयी एवं अप्रार्थी के जवाब प्रस्तुत करने के अधिकार को बंद किया गया। जिस पर अधीनस्थ अधिकरण द्वारा रिर्पोट तलब करते हुवे आलौच्य आदेश पारित किया गया कि "अप्रार्थी संख्या 01 को पाबंद किया जाता है कि प्रार्थीया को भरण पोषण की राशि के रूप में प्रति माह 3,000/– अक्षरे तीन हजार रूपये प्रत्येक माह की 07 तारीख से पूर्व प्रार्थीया के बैंक खाते में जमा करवाकर जमा रसीद की फोटो प्रति न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करेगे। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान में प्रार्थीया के रहवास–आवास में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे एवम अपने हिस्से के बिजली–पानी के बिलो का भुगतान अप्रार्थीगण स्वयं करे। प्रार्थीया के साथ अप्रार्थीगण सद्व्यवहार बनाये रखेगे एवम मारपीट, गाली गलौच अभद्र व्यवहार नहीं करेगे। प्रार्थीया के बीमार होने की स्थिति में डॉक्टर एवं ईलाज की उचित व्यवस्था करेगे।" न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश विधिक प्रावधानों के विरुद्ध जाते हुए गंभीर विधिक तथा तथ्यात्मक त्रुटी कारित कर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीनी द्वारा अखंडित सशपथ कथन किया गया था कि वादग्रस्त जायदाद अपीलार्थीनी की एकल स्वामित्व की जायदाद है जो उसे वसीयत के जरिये प्राप्त हई थी। जिसका किसी प्रकार का कोई खंडन अपार्थी द्वारा नहीं किया गया किंतु उसके बावजूद भी अपीलार्थीनी के अखंडित कथनों को नहीं मानने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गंभीर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी कारित की है एवम् अधीनस्थ न्यायालय ने मौजूदा अधिनियम एवं उसकी मंशा को समझे बिना ही आलौच्य आदेश पारित किया गया है। परिवाद में वर्णित अनुसार अपीलार्थीनी द्वारा अपने एकल स्वामित्व की जायदाद के कब्जे का अंतरण अप्रार्थी को अपीलार्थीनी के विधिवत भरण पोषण तथा सुख सुविधाओं के आशय से उपलब्ध करवाया गया था। जो कब्जा अप्रार्थी द्वारा धोखे तथा अपने अनुचित प्रभाव के आधार पर प्राप्त किया गया था। ऐसी स्थिति में धारा 23 अधिनियम के अनुसार अधिनस्थ अधिकरण का यह दायित्व था कि अप्रार्थी द्वारा आश्वासन के तहत प्राप्त किये गये कब्जे को अपीलार्थीनी को सुर्पुद करवाते किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानो के विरूद्ध जाते हुए स्वयं को समक्ष न्यायालय

अपील अधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

नहीं मानने में गभीर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी कारित की है जिस कारण आलौच्य आदेश निरस्त योग्य है। जब कि अप्रार्थी द्वारा न तो ऐसा कोई अभिवचन प्रस्तुत किया गया है कि वादग्रस्त जायदाद पक्षकारान् की संयुक्त अविभाजित पैतृक जायदाद है एवम न ही ऐसी कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत की गई है। जब कि पत्रावली पर अपीलार्थीनी द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका था कि वादग्रस्त जायदाद अपीलार्थीनी के एकल स्वामित्व की जायदाद है जिसमें अप्रार्थी का किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है। अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त जायदाद का कब्जा भी अपीलार्थीनी के विधिवत भरण पोषण करने के आश्वासन के आधार पर प्राप्त करते हुए अन्य किरायेदारों को कब्जा सुर्पुद कर किराया राशि को हडप किया जा रहा है जिसे दिलवाये जाने का अधीनस्थ अधिकरण को क्षेत्राधिकार प्राप्त था किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं को प्राप्त क्षेत्राधिकार का विधिवत रूप से प्रयोग नहीं कर गंभीर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र रूपये 3,000/–प्रतिमाह अपीलार्थीनी को भरण पोषण की राशि के रूप में अदा किये जाने का आदेश पारित किया गया है जो अपीलार्थीनी के सुविधा पूर्वक भरण पोषण हेतु कतई पर्याप्त नहीं है व प्रार्थीनी द्वारा अपनी स्वामित्वशुदा कब्जाशुदा जायदाद में से प्रत्यर्थी को बेदखल कर उपरोक्त जायदाद का कब्जा भी अपीलार्थीनी को दिलाये जाने का निवेदन किया गया था परन्तु न्यायालय द्वारा प्रार्थीनी के कथनों को ध्यान में न रखते हुए अधिनियम की मंशा के विरुद्ध जाते हुए केवल भरण पोषण का आदेश पारित किया जो कि विधि अनुसार पारित नहीं किया गया है। जब कि इस संबंध में विधायिका द्वारा बनाये गये कानून के अनुसार वृद्धजनको का भरण पोषण अधिनियम 2007 की धारा 23 के अनुसार वरिष्ठ नागरिको की सम्पति की सुरक्षा किये जाने का दायित्व का माननीय अधिकरण हाजा को है ऐसी स्थिति में अधिनियम की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले नियम मौजूदा याचिका के निस्तारण हेतु कतई बाधक नहीं है। अपीलार्थीनी अपनी याचिका के जरिये यह सिद्ध करने में सफल रही है कि अपीलार्थीनी वरिष्ठ नागरिक है एवं वादग्रस्त जायदाद की जरिये वसीयत स्वामिनी है एवम प्रत्यर्थी अपीलार्थीनी का पौत्र है जो अवैध व अनाधिकृत रूप से अपीलार्थीनी के साथ गंभीर रूप से लडाई झगडे करने एवं धारा 2 (एफ) वरिष्ठ नागरिको के भरण पोषण अधिनियम के वर्णित सम्पति से प्रार्थी को बेदखल करने पर आमदा है जिसका उसे किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। जिस कारण अपीलार्थीनी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाते हुए प्रत्यर्थी को अपीलार्थीनी की स्वामित्वशुदा जायदाद के उपयोग उपभोग व उपरोक्त सम्पति से किराया प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई दखल अंदाजी नहीं करने एवं अपीलार्थीनी के साथ, किसी प्रकार की कोई मारपीट, अभद्र व्यवहार नहीं करने एवम् प्रत्यर्थी को अपीलार्थीनी की जायदाद से बेदखल करने एवम् अपीलार्थीनी के शरीर एवं सम्पति की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थीनी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूदा याचिका स्वयं के शरीर एवं सम्पति की सुरक्षा को लेकर प्रस्तुत किया गया है न की साम्पतिक विवाद को लेकर। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय का यह निर्धारित करना स्वयं में विधि विरुद्ध सिद्ध हो जाता है कि वरिष्ठ नागरिको को सम्पति के कब्जे को सुर्पुद करने का क्षेत्राधिकार नहीं हो। अपीलार्थीनी द्वारा प्रस्तुत याचिका में कतई स्वामित्व संबधी किसी प्रकार का कोई विवाद ग्रस्त ही नहीं है। अपीलार्थीनी द्वारा अपनी याचिका के जरिये यह सिद्ध किया गया है कि अपीलार्थीनी वरिष्ठ नागरिक है एवम वादग्रस्त जायदाद की स्वामिनी है। प्रत्यथर्थी अपीलार्थीनी

अपील अधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

का पौत्र है जो अवैध व अनाधिकार रूप से अपीलार्थीनी के साथ गंभीर रूप से लड़ाई झगडे करता आ रहा है एवम धारा 02 (एफ) वरिष्ठ नागरिको के भरण पोषण अधिनियम के वर्णित सम्पति से अपीलार्थीनी को बेदखल करने पर आमदा है। जिसका उसे किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। जिस संबंध में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण न्यायनिर्णयन भी पारित किये जा चुके है। जो इस प्रकार है–(1) 2019 (1) सी०सी०सी० 373 (2) 2017 (2) ए०बी०आर० (सी०आर०आई०) 869।

अप्रार्थी रवि पुत्र अमृतलाल ने दिनांक 14.10.2025 को अपनी लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अपीलार्थीनी द्वारा लगाये गये आरोप झूठें हैं। अपीलार्थी के चार पुत्र हैं जिनके नाम स्व. अमृतलाल भाटी, मिश्रीलाल भाटी, नारायण भाटी व श्रीराम भाटी है। अपीलार्थीनी के तीन पुत्र जीवित है। तीनों आर्थिक रूप से सक्षम हैं। अपने–अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। तीनों पुत्र अपीलार्थीनी को किसी प्रकार का भरण पोषण नहीं देते हैं क्योंकि अपीलार्थीनी स्वयं अपना भरण–पोषण करने में सक्षम है। इनके पास महिने का 30000 से 35000 तक किराया आता है। उसी धन से बीसीयां (चिटफण्ड) भरती है और सरकारी विधवा पेंशन की प्राप्त करती है और सरकारी राशि भी प्राप्त कर रही है। अप्रार्थी की माता मृत्यु उसकी 3 वर्ष की उम्र में हो गयी थी। जब वह 12 वर्ष का हुआ तब पिता श्री अमृतलाल की मृत्यु भी हो गयी थी। तभी से अपीलार्थीनी घर का किराया भी ले रही है। किराये की आय 25000 महिना है और अप्रार्थी के पिता की दुकान की कमाई भी ले रही है। अप्रार्थी के पिता चाय की हॉटल चलाते थे। अप्रार्थी के पिता की तीन टेक्सियां भी थी। जो किराये पर चलवाते थे। उनका किराया भी अपीलार्थीनी लेती थी। अप्रार्थी के पिता की दुकान पर सबसे छोटे बेटे श्रीराम भाटी का कब्जा है। जब तक अप्रार्थी की शादी नहीं हुई थी। उसने कभी कुछ नहीं मांगा इसलिये परिवारवाले उससे खुश थे। लेकिन अप्रार्थी की शादी के बाद उन परिवारवालों के रंग बदल गये। पुरे घर का एरिया लगभग 15/120 है। जिसमें दुकान और घर का हिस्सा अप्रार्थी के पिता के नाम पर है। अप्रार्थी परदादा रामोजी भाटी अपने जीवन काल में ही उसके पिता एवं चाचाओं के नाम वसीयत बनाकर गये थे। जो उसके चाचा श्रीराम भाटी ने छिपा रखी है। अपीलार्थीनी के साथ मिलकर श्रीराम भाटी, मंजली बुआ संतोष बोराणा, पिनू बोराणा और अपीलार्थीनी का भांजा रतन परिहार ने मिलकर अपीलार्थीनी के नाम फर्जी वसीयत बनवा दी। उसके चाचा श्रीराम भाटी और उनकी पत्नी अनु भाटी और बुआ संतोष बोराणा नहीं चाहती थी कि अप्रार्थी की शादी हो और उसका घर बसे ताकि अप्रार्थी अपनी दुकान व घर वापस न ले। अप्रार्थी की सबसे बडी बुआ इंदू धाडदिया ने अप्रार्थी की शादी 06.04.2023 में उत्तर प्रदेश में करवायी। जब से अप्रार्थी की शादी हुई। उसके चाचा श्रीराम भाटी एवं उनकी पत्नी अनु भाटी ने उसे व उसकी पत्नी ज्योति भाटी को परेशान करना शुरू कर दिया। उसके व उसकी पत्नी के साथ मार पिटाई शुरू कर दिया। अप्रार्थी की पत्नी से दहेज मांगना 'गंदी गालियाँ देना, इस तरह से परेशान करने लगे। घर छोड़कर किराये पर जाने के लिए मजबूर करने लगे। इतना परेशान किया कि शादी के मात्र ढाई महिने में अप्रार्थी फाँसी लगाने पर मजबूर हो गया। शादी को लगभग एक साल होने पर पुलिस कम्प्लेन कई बार करवायी। लेकिन परिवार वालों पुलिस को पैसे देकर कार्यवाही आगे नहीं होने दी। अपीलार्थीनी को बहकाकर अप्रार्थी पर भरण–पोषण और बेदखल का केस करवा दिया। केस में पूर्णतया सफलता न मिलने पर अप्रार्थी और

अपील अधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

उसकी पत्नी पर जान लेवा हमला किया। जिसमें अप्रार्थी की दोनों पर गहरी चोट आयी और शरीर के बाकी अंगों पर भी चोट आयी। अप्रार्थी की पत्नी ज्योति भाटी के सिर पर वार किया और सिर फाड दिया। हाथ और कमर में भी चोटें आयी। अप्रार्थी ने अपने पिताजी तक का बंट माँगा तो नहीं दिया और जान से मारने की धमकी दी पिछले 8 महिनों से अप्रार्थी के घर की बिजली का कनेक्शन कटवा रखा है। सिर्फ उसे परेशान करने के लिए जब तीन बेटे भरण–पोषण नहीं दे रहे तो अप्रार्थी तो पोता है। उससे भरण –पोषण मांगने का क्या अधिकार है सालों से उसके पिता का किराया घर और दुकान का, अपीलार्थीनी और अप्रार्थी के काका श्रीराम भाटी ही तो खा रहे है, उसके पापा की चाय की दुकान में उसे दोपहर के दो बजे के बाद की सिफ्ट दे रखी है जिसकी इनकम बहुत कम है गर्मियों में तो केवल साग–सब्जी का ही खर्चा निकल पाता है। अब इसमें भी अप्रार्थी अपना परिवार चलाये या अपीलार्थीनी को भरण–पोषण दे और अगर फिर भी देना ही है तो अपने तीनों बेटों से भी मांगे। वह अकेला ही क्यों दे? लिखित बहस के अंत में न्याय हेतु निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं जवाब के तथ्यों पर मनन किया गया। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 4 में "अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण–(1) एक वरिष्ठ नागरिक, जिसमें अभिभावक शामिल है, जो स्वयं अपनी आय से या स्वयं द्वारा स्वामित्वाधीन सम्पति से स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ है, धारा 5 के अधीन आवेदन करने का हकदार होगा।" का प्रावधान है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 वरिष्ठ नागरिकों एवं माता–पिता के कवच/बचाव के लिए है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलार्थीया को 3,000/– प्रतिमाह भरण पोषण की राशि स्वीकृत की गई थी। मकान पुश्तैनी होने से मकान खाली करवाने हेतु सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करना न्यायोचित होगा। अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश प्रति के साथ मूल अभिलेख संबंधित अधीनस्थ अधिकरण को सूचनार्थ एवं पालनार्थ पुनः लौटाया जावे। आदेश सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपील अधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

यह आदेश आज दिनांक 27.01.2026 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(गौरव अग्रवाल)
अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)